तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **प्रवीण कुमार बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 243 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-08-2022	अपीलार्थी प्रवीण कुमार, पता 368, डी सरस्वतीनगर, बासनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.04.2022 में (1) सरस्वती नगर डी सेक्टर 368–ए, 367 डी सेक्टर प्लॉट नं. 366 व प्लॉट 368 के बीच दोनों नगर निगमों / सरकारी प्लोटो से संबंधित आज दिन तक की गई सभी शिकायतों की प्रति तथा उस शिकायतों पर की गई अलग अलग सभी निगम कार्यवाहियों की बनी सम्पूर्ण पत्रावलियों व अन्य बिन्दुओं,, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1138 दिनांक 29.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर नगर निगम दक्षिण जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत नगर निगम दक्षिण जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 601 दिनांक 09.05.2022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित कीक गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर राज्य लोक सूचना अधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय से संबंधित होने के कारण विधिक प्रकिया के तहत सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित कर दिया गया तथा प्रार्थी को भी सूचनार्थ पत्र प्रेष्तिा किया गया तथा लोक सूचना अधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर न होकर, महापौर नगर निगम जोधपुर दक्षिण है अतः इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती हे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	